भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4234
29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- एग्रीटेक स्टार्टअप

4234. श्री संजय भाटिया:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1200 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रौद्योगिकियां, डेटा और परामर्श, मिट्टी और फसलों, मशीन का उपयोग सीखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन आदि के रूप में किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं और यदि हां, तो विशेष रूप से हरियाणा और करनाल निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार किसानों को, किसानों के डेटा, मिट्टी और फसलों पर परामर्श, मशीनों का उपयोग सिखाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन आदि तकनीकों का लाभ प्रदान करने के लिए करनाल निर्वाचन क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): यह मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास नामक एक कार्यक्रम वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके एग्रीटेक स्टार्टअप सहित कृषि स्टार्टअप को पोषित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में पांच ज्ञान भागीदार (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर (आर-एबीआई) देश भर में नियुक्त किए गए हैं।

नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, एग्रीटेक स्टार्टअप सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में कुल 799 स्टार्ट-अप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2016-2017 से शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष (एनएआईएफ) नामक परियोजना के तहत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके एग्रीटेक स्टार्टअप सहित कृषि-आधारित स्टार्टअप की सहायता कर रहा है। इसके दो घटक हैं अर्थात् I. नवाचार कोष; II. इन्क्यूबेशन कोष और राष्ट्रीय समन्वय इकाई (एनसीयू)। आईसीएआर एग्रीबिजनेस

इनक्यूबेटर (एबीआई) एग्रीटेक स्टार्टअप सहित स्टार्टअप/उद्यमियों को तकनीकी सहायता और अन्य इन्क्यूबेशन सेवाएं प्रदान करते हैं। आईसीएआर ने 50 संस्थानों में अपने एबीआई के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप सहित कुल 818 स्टार्टअप की सहायता की है।

आरकेवीवाई के नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत, निधियां राज्य-वार नहीं बल्कि केपी और आर-एबीआई को जारी की जाती हैं। हरियाणा में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्टअप की सहायता के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), हिसार में एक आर-एबीआई की स्थापना की गई है। डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने वाले चयनित एग्रीटेक स्टार्टअप करनाल सहित किसानों को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम के तहत सीसीएसयू, हिसार, हरियाणा में स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्र में तकनीकी और वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

आईसीएआर के एनएआईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल में एक कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन (एबीआई) केंद्र स्थापित किया गया है। करनाल में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने वाले चयनित एग्रीटेक स्टार्टअप उपरोक्त इन्क्यूबेशन केंद्र पर तकनीकी सहायता ले सकते हैं। ये स्टार्टअप कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान करके किसानों को लाभान्वित करते हैं और कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता और दक्षता को बढ़ाते हैं।

***